बिहार सरकार
(पर्यावरण एवं वन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–FC

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय– श्री विकास कुमार मनोहर द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत NH- 81 गेड़ाबाड़ी पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.018 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि कटिहार जिलान्तर्गत NH- 81 गेड़ाबाड़ी पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत श्री विकास कुमार मनोहर के 0.018 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन संरक्षक, पूर्णिया अंचल, पूर्णिया के पत्रांक–139 दिनांक 10.02.2018 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–190 (ई0) दिनांक 16.02.1994 द्वारा "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी पूर्णिया, द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC-106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.018 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजन प्रस्ताव के लिए जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम' 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि को टोपोसीट पर दर्शाते हुये तथा GEO Referenced Map, shape File एवं Kml File की सॉफ्ट कॉपी अर्थात् सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है तथा वन का वानस्पतिक घनत्व 0.1 से कम अंकित किया गया है।

6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी सहरसा, द्वारा प्रस्ताव के भाग– II में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया है।

7. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई प्राकृतिक वन अवस्थित नहीं है।

8. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया वन प्रमंडल, पूर्णिया द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल से अगले पेट्रोल पम्प की दूरी पूरब में 9 कि0मी0 तथा पश्चिम में 3 कि0मी0 है।

9. विषयक मामले में संबंधित वन संरक्षक से प्रस्तावित स्थल का, वहाँ उपलब्ध वृक्षों (अथवा अन्यथा) फोटोग्राफ के साथ जाँच प्रतिवेदन (प्रपत्र–III) संलग्न समर्पित है।

उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.018 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11268/– (ग्यारह हजार दो सौ अरसठ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण (क्षतिपूरक वनरोपण) को बनाये रखने के लिये 50 (पचास) वृक्षों के रोपण की कुल 10 (दस) वर्षों की योजना के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग किया गया है। अतएव दण्डात्मक क्षतिपूरक की अनुशंसा की जाती है।

(v) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

(vi) भारत सरकार के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC - 308 दिनांक– 03/04/2018

प्रतिलिपि : **श्री विकास कुमार मनोहर,** पिता– श्री भोला प्रसाद चौरसिया, ग्राम– महेशपुर, पोस्ट+थाना–कोरहा, जिला–कटिहार, पिन कोड–854108 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के०पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।